उत्तर प्रदेश शासन
उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2
संख्या-1/2016/417/84-2-2015-सीपी 41/90 टीसी
लखनऊ : दिनांक : 04 जनवरी, 2016

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

शासन की अधिसूचना संख्या-सीपी 594/29-8-97 सीपी 41/90, दिनांक 14 मार्च, 1997 द्वारा गठित उपभोक्ता संरक्षण परिषद्, उत्तर प्रदेश में अधिसूचना संख्या-सीपी 1005/29-8-98-सीपी 41/90, दिनांक 02.11.1998 के प्रस्तर संख्या 2-क(1)(दो)(ख) में दी गयी व्यवस्था के क्रम में विधान परिषद् सचिवालय (संसदीय अनुभाग) के पत्र संख्या-1939/वि0प0-14 सं0/1997, दिनांक 15 दिसम्बर, 2015 में प्राप्त संस्तुति के आधार पर विधान परिषद् के निम्नलिखित मा0 सदस्यगण को उपभोक्ता संरक्षण परिषद्, उत्तर प्रदेश का गैर सरकारी सदस्य नामित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	सदस्य का नाम	स्थाई पता	दल का नाम	निर्वाचन क्षेत्र	सदस्यता समाप्ति की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी	मकान नं0-19ए, मो0 मथुरा नगर (तेतरीखुर्द) वार्ड नं0 7, नगर पंचायत उस्का बाजार, सिद्धार्थनगर।	शिक्षक दल (गैर राजनैतिक)	गोरखपुर-फैजाबाद खण्ड शिक्षक	20.05.2020

2. उक्त मा0 सदस्य तब तक पद धारण करेंगें जब तक वे विधान परिषद् के सदस्य हैं। उपभोक्ता संरक्षण राज्य परिषद् की बैठक आयोजित होने पर मा0 सदस्यगण को अलग से सूचना भेजी जायेगी। राज्य परिषद् की बैठकों में उपस्थित होने एवं वापसी के लिए विधान परिषद् के सदस्यों को यात्रा एवं दैनिक भत्ते ऐसी दरों से देय होंगे, जो ऐसे सदस्यों को अनुज्ञेय होते हैं। अन्य कोई मानदेय या भत्ता देय नहीं होगा।

सुधीर गर्ग
प्रमुख सचिव।

<u>पृष्ठांकन संख्या-1/2016/417(1)/84-2-2015, तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) विशेष सचिव, विधान परिषद् सचिवालय (संसदीय अनुभाग), उ0प्र0 को उनके पत्र संख्या-1939/वि0प0-14 सं0/1997, दिनांक 15 दिसम्बर, 2015 के क्रम में।

...2...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, खाद्य एवं रसद तथा उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप विभाग, उ0प्र0।
(3) श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, मा0 सदस्य, विधान परिषद्, उ0प्र0।
(4) आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्तखण्ड-1, गोमतीनगर, लखनऊ।
(6) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, उ0प्र0, 7, बाला कदर रोड, लखनऊ।
(7) उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अनिल कुमार बाजपेई
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।